झारखण्ड सरकार

नगर विकास एंव आवास विभाग

अधिसूचना

संख्याः–02/न0प्रनि0/NULM/SUSV-चुनाव /82/2017 1361 राँची,दिनांकः– 09/03/18

पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के केन्द्रीय अधिनियम–7) की धारा 36 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2005 दिनांक 5/4/2016 द्वारा झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015 का गठन किया गया । नियमावली के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिपथ रखते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 4960 दिनांक 6/9/2016 झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) संशोधन नियमावली, 2016 की कंडिका– 2 के आलोक में सफलतापूर्वक कियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैः–

1. नियम 13 उपनियम (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन हेतु संबंधित स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

2 अनुसूची 1 (नियम 14) उपनियम (3) (घ) (i) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन हेतु संबंधित जिले में प्रचलित आरक्षण रोस्टर लागू होगा ।

नियमावली के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

8/03/18

(राहुल कुमार)

–1361– सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक– 02/न0प्रनि0/NULM/SUSV-चुनाव /82/2017 राँची,दिनांकः– 09/03/18

प्रतिलिपिः–अंधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/03/18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 02/न0प्रनि0/NULM/SUSV-चुनाव /82/201 –1361– राँची,दिनांकः– 09/03/18

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/ निदेशक, शहरी विकास अभिकरण/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/ प्राधिकार, झारखण्ड/ सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/03/18

सरकार के अवर सचिव।